राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 64ए/2022 अपील

1. ओमप्रकाश पिता वल्लभ विश्नोई बनाम निवासी आजाद नगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. रामू पुत्री सोहन विश्नोई पत्नी देबीलाल विश्नोई निवासी पुर हाल जवाहरनगर भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

1. लोकेश पिता मदनलाल दत्तक पुत्र प्यारचंद विश्नोई निवासी पुर हाल जवाहर नगर भीलवाडा।
2. जोगेन्द्र पुत्र स्व० देबीलाल विश्नोई निवासीयान जवाहरनगर, भीलवाड़ा
3. राजेन्द्र पुत्र देबीलाल विश्नोई निवासीयान जवाहरनगर भीलवाडा
4. आशा पुत्री देबीलाल विश्नोई निवासीयान जवाहरनगर, भीलवाडा
5. मंजू देवी पत्नी देबीलाल विश्नोई निवासीयान जवाहरनगर, भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा निर्णय दिनांकित 04/10/2022

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री श्यामलाल गुर्जर, प्रत्यर्थीगण व्यक्तियों की ओर से
3. राजकीय पेरोकार, प्रत्यर्थीगण 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10/02/2026

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार एसडीओ भीलवाडा के प्र0स 24/2010 निर्णय दिनांक 11.08.2021 के विरूद्ध ग्रा0प0 पांसल, नामान्तरण संख्या 1197 दिनांक 21.06.1989 व नामान्तरण संख्या 3748 दिनांक 05.10.2009 को अपास्त कर रिमाण्ड व जांच के आदेश पारित हुए। जिसके क्रम में ग्राम पंचायत पांसल द्वारा धारा 135(2) में प्रकरण दर्ज किया गया। ओमप्रकाश विश्नोई ने दिनांक 29.10.2021 को प्रा0पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण माननीय अति0 संभागीय आयुक्त,अजमेर में विचाराधीन है, जिससे इस प्रकरण में इस न्यायालय

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

द्वारा कोई कार्यवाही का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे श्रीराम की मृत्यु कब हुई, इसका खुलासा नहीं किया गया एवं श्रीराम की मृत्यु घीसी स्वयं 1989 बतायी व दिनांक 01/01/1990 को मतदाता सूची में घीसी पत्नी श्री प्यारचन्द विश्नोई का नाम दर्ज है। मतदाता सूची में नाम कम से कम एक साल बाद दर्ज होता है। इससे पूर्णतया साबित है कि श्रीराम जीवित अवस्था में घीसी पत्नी नही थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। देबी लाल विश्नोई द्वारा गोदपुत्र घौषित कराने का वादपत्र पेश किया, जिसके पैरा संख्या 01 मे जो सजरा दर्शा रखा है, उसमे भी कही पर श्रीराम की पत्नी घीसी नहीं दर्शा रखी है व साथ ही देबी लाल विश्नोई द्वारा उक्त वादपत्र में कही भी घीसी को गवाह में पेश नही किया, यदि घीसी श्रीराम की पत्नी होती तो देबी लाल सजरा मे दर्शाता है, जो नहीं दर्शाया गया व न ही घीसी के बयान करवाये है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात का अवलोकन किए बिना उक्त निर्णय/आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। घीसी बाई प्रार्थीया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित होता है कि घीसी बाई पत्नी श्रीराम जी की पत्नी हो, श्रीराम का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नही किया व पयारचन्द के साथ नाता विवाह कब किया, यह भी नही बताया, जबकि दस्तावेज अनुसार दिनांक 01/01/1990 को मतदाता सूची में घीसी पत्नी प्यारचन्द की पत्नी है, मतदाता सूची तैयार करने में कम से कम 1–2 वर्ष लगते है। इससे साबित है कि घीसी श्रीराम की पत्नी नही है। पटवारी रिपोर्ट एंव मतदाता सूची मे दिनांक 01/01/1990 को घीसी पत्नी प्यारचन्द विश्नोई दर्ज है। देबी लाल मुतबन्ना श्रीराम विश्नोई अपीलार्थी संख्या 02 दर्ज है परन्तु न तो रजिस्टर्ड गोदनामा व न ही सिविल न्यायालय से गोदपुत्र घौषित है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा मे अपील–पूर्णतया फर्जी है। देबी लाल ने उक्त आराजियात के संबंध मे एक वाद पत्र स्थगन प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष पेश किया है, जिसके प्रकरण संख्या 79/2004 व प्रकरण संख्या 108/2004 जिसमे भी कही घीसी पक्षकार नही है व न ही घीसी के बयान करवाये है। उक्त वादपत्र खारीज हुआ है। इस प्रकार विवादित आराजियात के संबध मे नियमित वाद विचाराधीन था। यदि घीसी वास्तव मे श्रीराम की पत्नी होती तो वह वाद में पक्षकार बनकर अपना अधिकार तय करवाती देवी लाल जो श्रीराम व घीसी का गोदपुत्र बनकर आ रहा है। उसने भी घीसी को पक्षकार नही बनाया, इससे पूर्णतया साबित है कि घीसी श्रीराम की पत्नी साबित नहीं है। नामान्तरणकरण संख्या 1197 दिनांक 21/06/1989 को फैसल जिसको सिविल न्यायालय द्वारा सही माना व उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष नामान्तरणकरण की अपील पेश की जो नियमानुसार 01 माह में पेश नही कर 7703 दिन बाद अपील–पेश की जो अवधारण अविलम्ब है, जबकि वादग्रस्त आराजियात के संबध मे दिनांक 12/08/2004 मे वाद पेश कर रखा था। इस प्रकार उक्त अपील मियाद बाहर है, खारीज होने योग्य है। देवी लाल द्वारा गोदपुत्र घौषित होने व वादग्रस्त आराजियात के संबंध मे मूल वाद अपर जिला न्यायाधीश महोदय, संख्या–03 भीलवाड़ा में विचाराधीन है। अपीलार्थीगण द्वारा

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28/09/2022 को ही प्रार्थनापत्र पेश कर अति० संभागीय आयुक्त मे अपील विचाराधीन होने व अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिन का समय चाहा या लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने उक्त निर्णय/आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। निवेदन है कि अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04/10/2022 को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्यर्थी 1 की लिखित बहस अनुसार अपीलार्थी ने अपील मेमो की कलम संख्या 01 में पारिवारिक सजरे का जो उल्लेख किया है वो अपूर्ण है क्योंकि सजरे में मुख्य पुरूष छोटू व उसके चार संतान क्रमशः भंवरलाल, सुखलाल, लालू व नाथू उत्पन्न होने का अंकन किया गया। इनमें से लालू व नाथू को लाऔलाद फोत होना बताया गया तथा भंवरलाल के पुत्री मांगी बाई व मांगी बाई का पुत्र अपीलार्थी दर्शाया गया तथा छोटू के दूसरे पुत्र सुखलाल के दो पुत्र श्रीराम व सोहन के रामू होने का अंकन किया गया अर्थात श्रीराम के आगे वंश में में कौन रहा अथवा नही इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 01 श्रीराम की विवाहिता पत्नी होकर उसकी वैधानिक वारिस है क्योंकि श्रीराम का निधन होने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 के अन्य नाता विवाह किया जिससे यह तथ्य सुस्थापित है कि मृतक श्रीराम के हक हिस्से की जायदाद के लिये प्रत्यर्थी संख्या 1 का पूर्ण हक अधिकार निहित है इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि अपीलार्थी ने अपनी ओर से प्रस्तुत अपील मेमो की कलम संख्या 01 में विवादित आराजी खसरा संख्या 3801 रकबा 1.14 बीघा होने का उल्लेख किया हे जबकि वर्तमान में उक्त आराजी दो भागों में विभाजित होकर आराजी खसरा संख्या 3801/1 व 3801/2 रकबा 0.4300 है० है। जो वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या–1 के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी भूभाग से कोई हक व सम्बन्ध नहीं है इसके उपरात भी माननीय न्यायालय के समक्ष यह फर्जी कूटरचित अग्रील तैयार कर प्रस्तुत की गई जो प्रथमदृष्ट्या ही पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमो में यह भी उल्लेख किया कि अपीलार्थी की माता श्रीमती मांगी बाई जो रेकार्डडेड सह खातेदार दर्ज किया गया था, जिसके निधन होने पर नामांतरकरण संख्या–3748 दिनांक 05.012.2009 को अपीलार्थी के नाम पर प्रमाणित किया गया है। अपीलार्थी ने केवल नामांतकरण अपने नाम पर प्रमाणित किया है जबकि नामांतरकरण संख्या–1197 निर्णय दिनांक 21.06.1989 व नामांतरकरण संख्या–3748 निर्णय दिनांक 05.12.2009 जिनके सम्बन्ध में प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपील प्रकरण संख्या 24/2010 दर्ज की जाकर अपील मेमो का अंतिम विनिश्चय दिनांक 11.08.2021 को किया जाकर उक्त दोनों नामांतरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि मृतक श्रीराम विश्नोई के विधिक वारिसान की पूर्णतया जांच कर नये सिरे से आदेश पारित करे। इस पर तहसीलदार भीलवाडा ने विवादित आराजी खसरा भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 घीसी बाई पत्नी श्रीराम विश्नोई हाल निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जिससे नामांतरकरण संख्या–1197 व 3748 स्वतः ही निष्प्रभावी हो

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

चुके हैं और ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख अपीलार्थी को अपने अपील मेमो में नहीं करना चाहिये था, लेकिन अपीलार्थी ने न्यायालय के अमूल्य समय को बर्बाद करने के लिये अपनी ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में झूठी कहानी का संचार करते हुए अपील प्रस्तुत की गई जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अपने अपील मेमो में यह भी अंकन किया कि देबीलाल पिता रामचंद्र जो पृथक परिवार है और उसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या–79/2004 दर्ज होकर दिनांक 11.12.2017 को देबीलाल की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किया गया। प्रथमदृष्ट्या देबीलाल की ओर से प्रस्तुत किये गये वाद से प्रत्यर्थी संख्या–1 प्रतिबन्धित नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या–1 विवादित आराजी भूभाग खसरा संख्या–3801/1 व 3801/2 का मूल खातेदार स्वर्गीय श्रीराम पिता सुखलाल विश्नोई था तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 श्रीराम की विवाहित पत्नी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में अंकित प्रावधानों के अनुसार विधिक वारिस है और इसी वजह से अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाड़ा ने वादग्रस्त आराजी भूभाग खसरा संख्या–3801/1 व 3801/2 प्रत्यर्थी संख्या 1 घीसी के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी ने अपील मेमों में यह भी अंकित किया कि रामू पुत्री सोहन ने अपने हक हिस्से की भूमि दिनांक 13.08.2010 को श्रीमती कीर्ति पत्नी महेन्द्र पारख को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र पर देबीलाल पिता रामचंद्र बतौर गवाह हस्ताक्षर है। प्रथम तो तथाकथित विक्रय विलेख प्रत्यर्थी संख्या–1 के मुकाबले प्रारम्भ से ही बेअसर होकर शून्य प्रभावी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज कराना फरमावे क्योंकि मूल विवाद मृतक श्रीराम की कृषि भूमि के सम्बन्ध में है और प्रत्यर्थी संख्या–1 मुस्मात धीसी जो मृतक श्रीराम की विवाहिता पत्नी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है और अधीनस्थ तहसीलदार भीलवाड़ा ने दिनांक 04.10.2022 को मृतक श्रीराम के विधिक वारिसान एकमात्र उसकी विवाहिता पत्नी मुस्मात घीसी बेवा श्रीराम के नाम पर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के प्रकरण संख्या 17/2021 आदेश दिनांक 04.10.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत किया। उक्त आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अंतर्गत प्रकरण का परीक्षण किया जाकर अंतिम विनिश्चय किया गया है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा धारा 135(2) रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के अंतर्गत लैण्ड रेकॉर्ड आफिसर की शक्तियों का उपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किए गए है। ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संभागीय आयुक्त अजमेर के श्रेत्राधिकार/श्रवणाधिकार माननीय इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील पुनः सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थीगण की लौटाई जाए।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में नामान्तरण की अपील

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां 58/2021 जैरकार है। इस अपीलीय न्यायालय से उच्चतर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से multiplicity of suits की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय उपरान्त अपीलार्थी merit के आधार पर पुनः इस न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील उच्चस्तर न्यायालय माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर में विचाराधीन होने से खारिज की जाती है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय उपरान्त अपीलार्थी merit के आधार पर पुनः इस न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा